न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 18/607

रमेश आत्मज किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शांति लाल आत्मज रामलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बोरदा माल तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. रामकन्या पत्नी हरीशचन्द जाति धाकड (मृतक) ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री धर्मेन्द्र धाकड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बोरदामाल तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 303 में खसरा नम्बर 457 रकबा 1.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 1159 रकबा 1.76 हैक्टर कुल 03 किता रकबा 2.90 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के मूल पुरूष धूल्या जी थे । धूल्या जी की मृत्यु उपरान्त धूल्या के दो पुत्र बरधा व बाला दोनों उक्त भूमि के 1/2 – 1/2 के हिस्सेदार बने क्योंकि बाला की मृत्यु हो गयी बाला के दो पुत्र थे शंकर लाल

व किशनलाल दोनों बाला की सम्पत्ति के संयुक्त वारिस थे । शंकर लाल लाऔलाद फोत हो गया किशनलाल की भी मृत्यु हो चुकी है । उनके दो बेटे व दो पुत्रियॉ व पत्नी उक्त सम्पत्ति के संयुक्त वारिस हैं । मूल पुरूष के 1/2 हिस्से के उत्तराधिकारी हैं । मृतक हरीशचन्दा के पास 2.90 हैक्टर भूमि थी जिन पर प्रार्थी के कोई जायन्दा पुत्र व पुत्रियॉ नहीं थी इस वजह से रमेश चन्द जो चचेरे भाई का लडका था को गोद लिया गया था वह हरीशचन्दा की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोडी गई समस्त भूमि का एकमात्र वारिस है । मृतक हरीशचन्दा जब वृद्धावस्था में थे तो अप्रार्थी कम 01 ने उप पंजीयक के0 पाटन में जाकर दिनांक 15.07.2013 को फर्जी तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजी में से 1.78 हैक्टर भूमि बिना किसी प्रतिफल के बेचान अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लिया और उसमें नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा दिया । यह विक्रय पत्र बिना किसी प्रतिफल के होने से शून्य प्रभाव है । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से हरीशचन्दा का 1/3 हिस्से से अधिक हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करावे । अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द, रहन, बय नहीं करे न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो अप्रार्थीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अप्रार्थीगण कम 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.11.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सनुवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है जो राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज है जिसमें अपीलान्ट का गोदपुत्र होने से जन्म से 1/2 हिस्सा निहित है । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने उक्त भूमि में से 1.78 हैक्टर भूमि दिनांक 15.07.2013 को बिना प्रतिफल विक्रय का पंजीयन करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जो अपीलान्ट के विरूद्ध अवैध एवं प्रभावशून्य है । अपीलान्ट को उक्त भूमि से उनके निहित हिस्से पर से बेदखल करने तथा कब्जे में हस्तक्षेप करने पर आमादा होने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है जो राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज है । अपीलान्ट को गोदपुत्र होने के नाते इसमें 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 1159 रकबा 1.76 हैक्टर कुल 02 किता की 1.78 हैक्टर भूमि दिनांक 15.07.2013 को रेस्पोडेन्टगण को बिना प्रतिफल एवं आवश्यकता के विक्रय कर इंतकाल संख्या 585 से उनके खाते दर्ज करवायी है जो अपीलान्ट के विरूद्ध अवैध एवं प्रभावशून्य हैं। त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड के आधार पर अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने एवं कब्जे में हस्तक्षेप करने पर रेस्पोडेन्ट आमादा हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में तय नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उन्होंने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि कृषि भूमि के खातेदार कृषक शांतिलाल आत्मज रामलाल हैं और वे काबिज काश्त हैं । इस आराजी को खातेदार हरिशचन्द आत्मज बरधा जाति के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2013 को शांतिलाल को बेचान किया गया है और कब्जा संभलाया है । कृषि भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 1.12 हैक्टर का खातेदार रामकन्या बाई एवं गोदपुत्र रोहित नागर हैं जो काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । हरिशचन्द एवं उनकी पत्नी रामकन्या बाई ने जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा रोहित को गोद लिया है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 के द्वारा प्रतिफल सहित विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया है और विक्रय के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है । अपीलान्ट हरिशचन्द का गोदपुत्र नहीं हैं वरन् उनका गोदपुत्र रोहित है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है । अपीलान्ट मिथ्याकथन करके न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं । जब तक विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से खारिज नहीं हो जाता है तब तक राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है । अपीलान्ट के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन के न्यायालय में दिनांक 10.04.2019 को एक दावा पेश कर रोहित को हरिशचन्द का गोदपुत्र माना है और अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 10.04.2019 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 122 आई0पी0सी0 में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह हरिशचन्दा एंव रामकन्या का गोदपुत्र नहीं है ।वह आदतन अपराधी है । प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में नहीं बनता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11. 2018 बहाल रखा जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक गोदनामे की फोटो प्रति और एक विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है इस विक्रय पत्र की फोटो प्रति के अनुसार दिनांक 15.07.2013 को हरिशचन्दा ने खाता संख्या 83 की खसरा नम्बर 1158 रकबा 0.02 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1159 रकबा 1.76 हैक्टर कुल 02 किता की 1.78 हैक्टर भूमि 15 लाख रूपये में शांतिलाल वल्द रामलाल को बेचान की है ।

गोदनामे की फोटो प्रति के अनुसार हरिशचन्दा नागर और रामकन्या बाई ने रोहित नागर वल्द शांतिलाल को गोद लिया है ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 303 में कुल 03 किता की 2.90 हैक्टर आराजी हरिशचन्दा आत्मज बरधा के खाते में दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 585 के अनुसर विक्रय पत्र के आधार पर खसरा नम्बर 1158 और 1159 में क्रेता शांतिलाल का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है । इसके अलावा पर्चा खतौनी की फोटो प्रति एवं नकल जमाबन्दी सन् 1980, पर्चा खतौनी मौजा बोरधा भी पत्रावली पर संलग्न है ।

12. वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में हरिशचन्दा बल्द बरधा के खाते में दर्ज है जिसमें से खसरा नम्बर 1158 और 1159 की आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट क्रम 1 शांतिलाल के खाते में दर्ज होने का नोट अंकित है। अपीलान्ट स्वयं को हरिशचन्दा का गोदपुत्र बनाते हुए यह दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 02 जो कि हरिशचन्दा की पत्नी है ने अपीलान्ट को अपना गोदपुत्र स्वीकार नहीं किया है वरन् उनका यह कथन है कि उनका गोदपुत्र रोहित कुमार है । यदि अपीलान्ट स्वयं को हरिशचन्दा का गोदपुत्र घोषित करवाना चाहते हैं तो वो सक्षम सिविल न्यायालय में कार्यवाही कर सकते हैं । गोदपुत्र घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । वादग्रस्त आराजी के रेस्पोडेन्ट खातेदार कृषक एवं काबिज काश्त हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में तथ्य नहीं पाया जाता है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा